10

श्रमिकों के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठ

श्रमिकों के विरूद्ध अपराध-प्रकोष्ठ

श्रम विधियों के प्रभावकारी क्रियान्वयन, श्रमिक कामगारों की सुरक्षा, उन्हें निर्धारित मजदूरी दिलाने, महिला श्रमिकों के प्रति भेदभाव एवं उन्हें लैंगिक प्रताड़ना से रोकने तथा बच्चों को श्रमिक के रूप में कार्य कराने से रोकने के संबंध में एवं हितग्राहियों को न्याय दिलाने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में "श्रमिकों के विरूद्ध अपराध–प्रकोष्ठ" का गठन किया गया है। कोई भी पीड़ित श्रमिक जिसके विरूद्ध अन्याय या अत्याचार हो रहा है, उसे समान मजदूरी न दी जाकर भेदभाव किया जा रहा है, वह न्याय प्राप्त करने एवं अपने अधिकार की सुरक्षा हेतु उक्त प्रकोष्ठ में आवेदन दे सकता है।